संख्या–1434 श0वि0–आ0–2004–105(श0वि0)/2001

प्रेषक,

पी0के0 महान्ति,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी/पौडी गढवाल।

शहरी विकास/आवास अनुभाग देहरादून: दिनांक: 25 मार्च,2004

विषयः–वित्तीय वर्ष–2003–2004 में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों के संगठित विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उत्तरकाशी एवं श्री नगर हेतु स्वीकृत सहायता/अनुदान तथा उसके सापेक्ष राज्यांश की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या–14011/1/2003–2004/UD- I,दिनांक: 10 फरवरी,2004 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष–2003–2004 के अन्तर्गत उत्तरकाशी एवं श्रीनगर के लिए स्वीकृत संगठित विकास योजनाओं के अन्तर्गत विकास सम्बन्धी विभिन्न परियोजनाओं को कियान्वित करने हेतु नगर पालिका परिषदों को संलग्न तालिका में दिये गये विवरणानुसार वित्तीय वर्ष–2003–2004 में केन्द्रांश के रूप में रू0 48.00 लाख एवं राज्यांश के रूप में रू0 32.00 लाख अर्थात कुल 80.00लाख (रू0 अस्सी लाख मात्र)की धनराशि के व्यय की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी के पी0एल0ए0 में रखी जायेगी और सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा "रिवाल्विंग फण्ड" की स्थापना पर वित्त की सहमति प्राप्त कर लेने के उपरान्त तुरन्त आहरित कर उसे रिवाल्विंग फण्ड में हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

(2) स्वीकृत अनुदान राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया है।

(3) व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स,टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों अथवा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरें एवं मितव्ययता संबंधी आदेशों एवं तद्विषयक शासनादेशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

(4) परियोजना पर तकनीकी स्वीकृति नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल, देहरादून से प्राप्त किया जाना आवश्यक है। जो कि इस योजना हेतु राज्य स्तर पर समन्वय अभिकरण है।

(5) स्थानीय निकाय द्वारा शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत संगठित विकास योजना की पुनरीक्षित दिशा निर्देश तथा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। उनके द्वारा त्रैमासिक प्रगति आख्या निर्धारित प्रपत्र पर प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना होगा।

(6) संगठित विकास योजना की दिशा–निर्देशानुसार केन्द्रांश, राज्यांश वित्तीय संस्था/आन्तरिक श्रोतों द्वारा प्राप्त धनराशि का आहरण "रिवाल्विंग फण्ड" में जमा करना होगा तथा योजनावार इसका अलग लेखा–जोखा रखना होगा। प्राप्त केन्द्र एवं राज्य की अनुदान राशि का 75 प्रतिशत अंश "रिवाल्विंग फण्ड" में वापस करना होगा जिसका आत्मपोषित अवसंरचना के विकास कार्य हेतु उपयोग में लाया जा सके "रिवाल्विंग फण्ड" को सुदृढ़ कर बढ़ाना स्थानीय निकाय का दायित्व होगा।

(7) अनुदान राशि स्टाफ/प्रशासनिक कार्य पर व्यय नहीं किया जायेगा, न ही स्वीकृत कार्य को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन पर व्यय किया जायेगा।

(8) स्थानीय निकाय द्वारा प्राप्त अनुदान राशि के सदुपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

(9) सम्बन्धित निकाय द्वारा अपने नगर की विकास से सम्बन्धित रणनीति का प्रस्ताव दिशा–निर्देशों के प्राविधान अनुसार एक माह में तैयार कर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल, देहरादून के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना होगा।

2. उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष–2003–2004 के अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–04–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढीकरण (आई0डी0एस0एम0टी0)–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 3400 /वित्त अनुभाग–3/ 2003, दिनांक: 24 मार्च,2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0के0 महान्ति)
सचिव।

———3———

संख्या– 1434 (1) / श0वि0–आ0–2004–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
(2) आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
(3) सचिव, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली।
(4) मुख्य नियोजन, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकार, विकास भवन, नई दिल्ली।
(5) कोषाधिकारी, पौड़ी / उत्तरकाशी।
(6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तरांचल, देहरादून।
(7) उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग, उत्तरांचल, देहरादून।
(8) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, देहरादून।
(9) श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव, बजट सेल / वित्त, उत्तरांचल शासन।
(10) निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तरांचल, देहरादून।
(11) निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।
(12) प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
(13) अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी / श्रीनगर।
(14) वित्त नियंत्रक, उत्तरांचल, देहरादून।
(15) वित्त नियोजन प्रकोष्ठ / वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
(16) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
उपसचिव।

शासनादेश संख्या– 1434 श0वि0–आ0–2004–105(आ0)/2001, दिनांक 25 मार्च,2004 का संलग्नक–:

(धनराशि लाख रूपये में)

कमांक	स्थानीय निकाय का नाम	केन्द्रीय सहायता	राज्य सहायता	कुल स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
1.	नगर पालिका परिषद, श्रीनगर	24.00	16.00	40.00
2.	नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी	24.00	16.00	40.00
	कुल योग	48.00	32.00	80.00

(रू0 अस्सी लाख मात्र)

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
उपसचिव।

Nic